न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 04/2016/अजमेर (2016/00068)

जमीर अहमद कुरैशी पुत्र श्री रहमान बक्श खान, निवासी काजीपुरा चौराहा फाईसागर रोड़, अजमेर राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/ 2015/21656 दिंनाक 14–12–2015

———

उपस्थितः 1–श्री जमीर अहमद कुरैशी अपीलांट स्वयं

निर्णय

दिनांक 22–6–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वर्तमान में कैश वैन के साथ गनमैन की ड्यूटी कर रहा है जो कि बैंक से कैश लेकर एटीएम मशीनों में डालने का कार्य किया जाता है एवं वैन द्वारा कैश बाहर भी ले जाया जाता है। जिसमें जान व माल का खतरा सदैव बना रहता है। इसलिए जानमाल की सुरक्षा हेतु एक .22 एन.पी. बोर राईफल अच्छी गुणवत्ता का शस्त्र क्रय करने की अनुमति हेतु जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलांट के पास एक शस्त्र 104/90 जिसमें एक .12 बोर डीबीबीएल गन होना आधार मानते हुए बिना कारणों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट के राजकीय अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलांट स्वयं की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के स्वयं के द्वारा बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नियमानुसार एक वैध शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर एक से अधिक शस्त्र रखने का प्रावधान है। अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर से वर्तमान समय में बढ़ती हुई लूट और राहजनी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए जानमाल की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त शस्त्र के रूप में एक .22 एन.पी.बोर राईफल क्रय किये जाने की अनुमति चाही थी जो न्यायोचित है।

अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से निरीक्षक के पद से सेवानिवृत हुआ है। सेवाकाल में शूटिंग टीम का सदस्य रहने के दौरान निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है इसलिए शस्त्र चलाने का अच्छा अनुभव है। अपीलांट सन् 1988 से शस्त्र अनुज्ञाधारी है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आउट 107/90 पर एक 12 बोर डी.बी.बी.एल. बन्दूक मेरे पास है जिसका नवीनीकरण दिनांक 31.12.2016 तक हो रखा है। फोर्स का सदस्य होने के नाते शस्त्र चलाना और उसका रखरखाव अच्छी तरह जानता हूं। मेरे पास जो 12 बोर डी.बी.बी.एल. बन्दूक है वह पुरानी और पुराने पैटर्न की है जो आधुनिक शस्त्रों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। मेरे विरूद्ध भा.द.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत शांति भंग का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और ना ही किसी आपराधिक प्रकरण में मेरे विरूद्ध कोई अन्वेषण लम्बित है। उक्त तथ्यों एवं तर्को को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर एक अतिरिक्त शस्त्र .22 एन.पी.बोर राईफल क्रय करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करावे।

मैने अपीलांट स्वयं के द्वारा की गई एक पक्षीय बहस एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलांट श्री जमीर अहमद कुरैशी द्वारा दिनांक 17–3–2015 को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के पास वर्तमान में शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आउट 107/90 में एक शस्त्र .12 बोर डी.बी.बी.एल गन नम्बर 10262 दर्ज है प्रार्थी गनमैन की ड्यूटी कर रहा है जो कि बैंक से कैश लेकर एटीएम मशीनों में डालने का कार्य किया जाता है एवं वैन द्वारा कैश बाहर भी ले जाया जाता है। इससे जान व माल का खतरा सदैव बना रहता है। इसलिए जानमाल की सुरक्षा हेतु एक .22 एन.पी. बोर राईफल अच्छी गुणवत्ता का शस्त्र क्रय करने की आवश्यकता है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4384 दिनांक 20–3–2015 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 12–5–2016 द्वारा रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि प्रार्थी द्वारा एक .22 राईफल अतिरिक्त शस्त्र के रूप में क्रय किये जाने बाबत वृताधिकारी वृत दरगाह जिला अजमेर से जांच कराई गई। मुताबिक जांच प्रार्थी ए.टी.एम में कैश वेन से रूपये डालने का कार्य करता है। इस कारण छोटे शस्त्र की आवश्कता है। अतः आवेदक को एक अतिरिक्त शस्त्र क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे तो काई आपत्ति नहीं है। साथ ही यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तथा न ही जिला

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेषित की है। प्रार्थी वर्तमान में कैशवैन के साथ गनमैन की ड्यूटी कर रहा है जो कि बैंक से कैश लेकर एटीएम मशीनों में डालने का कार्य किया जाता है एवं वैन द्वारा कैश बाहर भी ले जाया जाता है जिसमें जान व माल का खतरा सदैव बना रहता है। इसलिए जानमाल की सुरक्षा हेतु एक .22 एन.पी. बोर राईफल अच्छी गुणवत्ता का शस्त्र क्रय करने की अनुमति चाही थी। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा प्रार्थी के .22 एन.पी.बोर राईफल क्रय किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन रिपोर्ट में करने के उपरान्त भी जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने उक्त टिप्पणी को नजर अन्दाज कर प्रार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लूट–पाट की घटनाएं अत्यधिक हो रही है अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर से वर्तमान समय में बढ़ती हुई लूट और राहजनी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए जानमाल की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त शस्त्र क्रय करने की अनुमति चाही थी जो उचित है पुराने शस्त्र से लूट–पाट की घटनाओं पर अंकुश लग पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अच्छी गुणत्ता एवं अत्याधुनिक तकनीक से लैस .22 एन.पी. बोर राईफल क्रय करने की अनुमति चाही है जो उचित है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक न्याय/शस्त्र/ 2015/21656 दिनांक 14.12.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) द्वारा जारी पत्र क्रमांक न्याय/शस्त्र/ 2015/21656 दिनांक 14.12.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि अपीलांट श्री जमीर अहमद कुरेशी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (बाबत अतिरिक्त शस्त्र क्रय करने की अनुमति प्रदान करने) का पुनः अवलोकन कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे।

यह निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर